

16/11/22 पत्रावली पेश हुई। धार्मिक वकील उपर।
पत्रावली वाले विद्यार्थी के जवाब हेतु आदिवा दिनांक
दिनांक 21/12/22 को पेश हो।

21/12/22 पत्रावली पेश हुई। धार्मिक वकील उपर। पत्रावली
वाले विद्यार्थी के जवाब हेतु आदिवा दिनांक
05/01/2023 को पेश हो।

05/01/23 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दो गज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लतवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 10/02/23 को पेश हो।

10/2 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दो गज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लतवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 10/2 को पेश हो।

10/3/23 आदिवातावन हड़ताल में होने के कारण पत्रावली
आईन्दा दिनांक 24/3/23 को पेश हो।

24/3/23 - पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवरकाद में
होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक
24/3/23 को पेश हो।

27/03/23 पत्रावली पेश हुई। धार्मिक वकील उपर। धार्मिक वकील ने निवेदन
कि उपरोक्त अनवान का वादपत्र न्यायालय में विचारधीन
था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2022 को वकील वादीगण
व वादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की वजह
से वादपत्र को अदम अलरी व अदम पैरवी में शामिल कर दिया गया।
दिनांक 26/08/22 को हमारे वकील अल्प न्यायालयों में दीगर कार्यों
में व्यस्त होने की वजह से तथा हमारे को उक्त उतरण की लसीख
पेवरी की जानगरी नहीं होने की वजह से उक्त उतरण को अदम पैरवी
व अदम अलरी में शामिल कर दिया गया। आज ले 4-5 दिन

पहले जब वादीगण-जॉइन्ट आये तथा अपने वकील
से सम्पर्क कर उक्त पत्रावली की तामील पड़ताल की
तो उन्हें बाल हुक्मा कि उक्त पत्रावली दिनांक 26/08/22
को अदम पंखी व अदम हाजरी में रखा गया और दी गई।
वादीगण पेशी दर पेशी अदालत में शामिल रहे। तथा किसी
वकील की गलती की सजा पत्रावली को गयी दी जा सकती है
वादीगण का अर्चना पत्र अंदर भ्रमद र-वीकार फरमाया
जाऊए वादपत्र पुनः बरामद किये जाने का आदेश फरमाया
जाये।

वादीगण वकील द्वारा मुदतुल अर्चना पत्र को न्यायादाल
में र-वीकार किया जाता है। पत्रावली को पुनः बरामद
के आदेशा दिये जाते हैं। पत्रावली फेरतल सुमार दोहर
दाखिल दफतर हो।

